रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-28022022-233779 CG-DL-E-28022022-233779

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 164] No. 164] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 28, 2022/फाल्गुन 9, 1943 NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 28, 2022/PHALGUNA 9, 1943

#### वित्त मंत्रालय

### (आर्थिक कार्य विभाग)

### अधिसूचना

नई दिल्ली. 28 फरवरी. 2022

सा.का.नि. 167(अ).—केंद्रीय सरकार, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 की धारा 19 के साथ पठित धारा 27 की उप-धारा (2) के खंड (ङ) और खंड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (वार्षिक रिपोर्ट और विवरणियां तथा विवरण और अन्य विशिष्टियां) नियम, 2022 है।
  - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

### 2. परिभाषाएँ.-

- (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -
  - (क) "अधिनियम" से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम 2019 अभिप्रेत है;
  - (ख) "प्ररूप" से इन नियमों से उपाबद्ध वार्षिक रिपोर्ट का प्रारूप अभिप्रेत है;
  - (ग) "वित्तीय वर्ष" से किसी वर्ष के 1 अप्रैल को आरंभ होने वाली और ठीक आगामी वर्ष की 31 मार्च को समाप्त होने वाली अवधि अभिप्रेत है:
  - (घ) "आईएफएससीए" से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अभिप्रेत है।

1396 GI/2022 (1)

- (2) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में हैं।
- 3. वार्षिक रिपोर्ट का प्ररूप.- प्राधिकरण, इन नियमों के साथ उपाबद्ध प्ररूप में पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान अपने कार्यकलापों, नीतियों और कार्यक्रमों का सही और पूर्ण लेखा देते हुए अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा।
- 4. वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना.- प्राधिकरण, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नब्बे दिनों की अवधि के भीतर केंद्रीय सरकार को नियम 3 में निर्दिष्ट वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति प्रस्तुत करेगा।
- 5. विवरणियां और विवरण तथा अन्य विशिष्टियां प्रस्तुत करना.- प्राधिकरण, केंद्रीय सरकार को निम्नलिखित प्रस्तुत करेगा -
  - (i) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थानों के विकास और विनियमन पर मासिक अद्यतन स्थिति:
  - (ii) केंद्रीय सरकार से सहायता या समर्थन प्राप्त करने वाली किसी स्कीम या परियोजना या घटना पर मासिक अद्यतन स्थिति
  - (iii) किसी अन्य मद पर रिपोर्ट या विवरण या सूचना जो केंद्रीय सरकार द्वारा अपेक्षित हो।

# वार्षिक रिपोर्ट का प्ररूप [नियम 3 देखें]

#### खंड क:

- (i) लक्ष्यों और उद्देश्यों का विवरण
- (ii) अध्यक्ष का संदेश/विवरण
- (iii) बोर्ड के सदस्य
- (iv) प्राधिकरण का वरिष्ठ प्रबंधन

### अंतर्वस्त

- (i) बॉक्स मदों की सूची
- (ii) सारणियों की सूची
- (iii) आंकड़ों की सूची
- (iv) संक्षिप्ताक्षर

खंड ख: पुनर्विलोकन वर्ष: साधारण आर्थिक पर्यावरण का अवलोकन -

- (i) वैश्विक आर्थिक मूल्यांकन, दृष्टिकोण और आईएफएससीए के लिए अवसर
- (ii) घरेलु आर्थिक मृल्यांकन और आईएफएससीए के सन्दर्भ तक सीमित संभावनाएं

खंड ग: प्राधिकरण की नीतियों, कार्यक्रमों और कार्यकलापों का पुनर्विलोकन:

इसमें निम्नलिखित व्यापक क्षेत्रों के संबंध में लेखा/पुनर्विलोकन सम्मिलित होगा:

- (i) पूंजी बाजार
- (ii) बैंककारी
- (iii) बीमा
- (iv) अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज
- (v) फिनटेक हब

- (vi) ग्लोबल इन हाउस सेंटर्स
- (vii) विमान पट्टे पर देना
- (viii) अन्य क्षेत्र

ब्योरा नीचे वर्णित बिंदु)क(से बिंदु)ञ (पर विस्तार से होना चाहिए:

- (क) वित्तीय उत्पाद/सेवाएं/बाजार अवसंरचना संस्थान: विनियमों, अधिसूचनाओं, प्रमुख परिपत्रों/दिशानिर्देशों को जारी करने के संबंध में कार्यकलाप. जिसके अंतर्गत निम्नलिखित सम्मिलित हैं.
- (ख) संव्यवहार/प्रक्रिया/प्रसंचालन/रुझान
- (ग) वकालत और आउटरीच: अभियान, नियुक्तियां/परामर्श, प्रकाशन आदि।
- (घ) अनुसंधान: वर्किंग पेपर, शोध रिपोर्ट, मुल्यांकन और संभावनाएं आदि।
- (ङ) विनियम और पर्यवेक्षण
- (च) निगरानी तंत्र
- (छ) प्रवर्तन और वसूली कार्यवाहियां
- (ज) विधिक पहलू
- (झ) अंतर्राष्ट्रीय जुड़ाव
- (ञ) आगामी वर्ष की नीतियां और कार्यक्रम

खंड घ : प्राधिकरण के अर्ध-विधायी, कार्यकारी और अर्ध-न्यायिक मे आने वाली कृत्यों की सूची/कवरेज

खंड ङ: परिणाम/लक्ष्य/उपलब्धि/प्रभाव (उद्देश्यों, अधिदेश, विजन के संबंध में) के संबंध में प्राधिकरण का प्रदर्शन मूल्यांकन। उक्त के सारांश आंकड़े।

खंड च: धन का स्रोत और व्यय के प्रमुख क्षेत्र

खंड छ: प्राधिकरण द्वारा वैधानिक दायित्वों के साथ गैर-अनुपालन, यदि कोई हो, का विवरण और उसका कारण।

खंड ज: संगठनात्मक मामले, जिसमें बैठक, मानव संसाधन, लेखा परीक्षा समिति, सूचना का अधिकार और पारदर्शिता, निवेशक संरक्षण सम्मिलित है।

खंड झ: ऐसे अन्य विवरण जो हितधारकों को प्राधिकरण के प्रदर्शन की समीक्षा करने और उसकी सराहना करने में सक्षम बनाते हैं

खंड ञ: लेखा संपरीक्षा समितियां

डेटा परिशिष्ट: उपरोक्त के समर्थन में

[फा. सं. 3/7/2020-ईएम (भाग)] आनंद मोहन बजाज, अपर सचिव

### MINISTRY OF FINANCE

# (Department of Economic Affairs)

### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th February, 2022

- **G.S.R. 167(E).**—In exercise of the powers conferred by clauses (e) and (f) of sub-section (2) of section 27 read with section 19 of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019, the Central Government hereby makes the following rules, namely:
- **1. Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the International Financial Services Centres Authority (Annual Report and Returns and Statements and Other Particulars) Rules, 2022.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

#### 2. Definitions.-

- (1) In these rules, unless the context otherwise requires,
  - (a) "Act" means the International Financial Services Centres Authority Act of 2019;
  - (b) "Form" means the form of the annual report annexed to these rules;
  - (c) "financial year" means the period beginning on the 1<sup>st</sup> day of April and ending on the 31<sup>st</sup> March of the immediately following year;
  - (d) "IFSCA" means the International Financial Services Centres Authority.
- (2) Words and expressions used in these rules but not defined, and defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.
- **3. Form of annual report.**-The Authority shall prepare its annual report, giving true and full accounts of its activities, policies and programmes, during the previous financial year in the Form annexed to these rules.
- **4. Submission of annual report. -** The Authority shall submit a copy of the annual report referred to in rule 3 to the Central Government within a period of ninety days after the end of every financial year.
- 5. **Furnishing of returns and statements and other particulars**.- The Authority shall furnish to the Central Government -
- (i) monthly updated status on the development and regulation of the financial products, financial services and financial institutions in the International Financial Services Centres;
- (ii) monthly updated status on a scheme or project or event that has received assistance or support from the Central Government
- (iii) report or statement or information on any other item as may be required by the Central Government.

## Form of Annual Report

[See rule 3]

#### **Section A:**

- (i) Statement of Goals and Objectives
- (ii) Chairman's Message/Statement
- (iii) Members of the Board
- (iv) Senior Management of the Authority

#### **Contents**

- (i) List of Box Items
- (ii) List of Tables
- (iii) List of Figures
- (iv) Abbreviations

**Section B**: The Year in Review: Overview of the General EconomicEnvironment for –

- (i) Global Economic Assessment, Outlook and Opportunities for IFSCA
- (ii) Domestic Economic Assessment and Prospects limited to IFSCA

**Section C**: Review of policies, programmes and activities of the Authority:

This shall include the account/review with respect to the following broad areas:

- (i) Capital Market
- (ii) Banking
- (iii) Insurance

- (iv) International Bullion Exchange
- (v) Fintech Hub
- (vi) Global in House Centres
- (vii) Aircraft Leasing
- (viii) Other areas

The write-up should detail on point (a) to point (j) as described below:

- (a) Financial Products/Services/Market Infrastructure Institutions: Activities with respect to regulations, notifications, issuance of major circulars/guidelines including
- (b) Transaction/Processes/Operations/Trends
- (c) Advocacy and Outreach: Campaigns, engagements/consultations, publications etc.
- (d) Research: Working papers, research reports, assessment & prospects etc.
- (e) Regulations and Supervision
- (f) Surveillance Mechanisms
- (g) Enforcement and Recovery proceedings
- (h) Legal Aspect
- (i) International Engagements
- (j) Policies and Programmes for the following year

**Section D**: A List/coverage of the quasi-legislative, executive and quasi-judicial functions of the Authority:

**Section E**: A performance assessment of the Authority with respect to: Outcomes/Target/Achievement/Impact (with respect to objectives, mandate, vision). Summary data of the same:

**Section F**: Source of funds and major areas of expenditure:

**Section G**: A statement of non-compliance, if any, with statutory obligations by the Authority and the reason for the same;

**Section H**: Organisational Matters, including Meetings, Human Resources, Audit Committee, Right to Information and Transparency, Investor protection:

**Section I**: Such other details as would enable the stakeholders to review and appreciate the performance of the Authority:

**Section J**: Audit Committees:

**Data Appendix**: In support of the above

[F. No. 3/7/2020-EM(Part)]

ANAND MOHAN BAJAJ, Addl. Secy.